दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2014 / 766

दिनांक 10.5...2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
रजत बालिका डिग्री कालेज,
टाण्डा हसवर,
अम्बेडकरनगर।

विषय : महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः सम्ब0 66 / सत्तर–6–2014–2(102) / 2014 दिनांकः 07 मई, 2014 के क्रम में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **रजत बालिका डिग्री कालेज, टाण्डा हसवर, अम्बेडकरनगर** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत दिनॉक 01.07.2014 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है–

1. संस्था शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर निर्गत शासनादेशो का पालन करेगी।
2. कतिपय संस्थानों / महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा–प्राभूत का संस्था नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण व एन0वी0सी0 प्रमाण–पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो, तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह मे प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय से अनुमोदित बी0एड0 विभागाध्यक्ष / प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षित सत्र में सम्बद्धता प्रस्तावों के साथ उक्त से सम्बन्धित तमाम अभिलेख एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, नकल विहीन परीक्षा होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा।

संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1 परीक्षा नियन्त्रक / वित्त अधिकारी / उप कुलसचिव परीक्षा।
2 प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक: लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/ 215 दिनांक 18-5- 2019

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनॉक 03.05.2019 के अनुपालन मे रजत बालिका डिग्री कालेज, बरही एंदिलपुर,, टाण्डा, हंसवर मार्ग, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट (02 यूनिट) को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2019–20 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
7. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/ 2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. प्रबन्धक, रजत बालिका डिग्री कालेज, बरही एंदिलपुर,, टाण्डा, हंसवर मार्ग, अम्बेडकरनगर।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner